न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1167 / 2026

रमेश सिंह उर्फ रमेश प्रसाद सिंह वगैरह बनाम् बिहार सरकार

सराय थाना कांड सं0–193 / 2023

अधीन धारा–147, 149, 341, 323, 354, 379, 448, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता।

13-05-2026 सराय थाना कांड संख्या–193 / 2023, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147, 149, 341, 323, 354, 379, 448, 504, 506 में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **रमेश सिंह उर्फ रमेश प्रसाद सिंह उम्र–64 वर्ष पेसर–स्व0 श्याम नंदन सिंह उर्फ श्याम नंदन प्रसाद सिंह, मुकेश कुमार उर्फ मुकेश कुमार सिंह उम्र–60 वर्ष पेसर–स्व0 श्याम नंदन सिंह उर्फ श्याम नंदन प्रसाद सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह उर्फ शैलेन्द्र कुमार सिंह उम्र–73 वर्ष पेसर–स्व0 श्याम नंदन सिंह उर्फ श्याम नंदन प्रसाद सिंह** सभी साकिन–मटियारा, थाना–सराय, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री दीपक कुमार सिंह** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 2 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2455 / 2023 दाखिल किया गया था जिसे वापसी के आधार पर खारिज किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–21.07.2023 को समय करीब 04.00 बजे शाम में सूचक अपने घर पर था उसी समय निशा कुमारी, संजीव कुमार उर्फ सौरव, शुभम कुमार, राहुल कुमार, शैलेन्द्र सिंह, विक्रम कुमार, गौरव कुमार, मुकेश कुमार एवं रमेश सिंह सभी एक राय कर हरवे–हथियार से लैश होकर सूचक के घर में घुस कर सूचक एवं उसके परिवार के साथ गाली–गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर सभी लोग घर में तोड़–फोड़ करने लगे तथा लाठी, डंडा एवं लोहे के रड से मारपीट करने लगे। बचाने सूचक की पत्नी गई तो उसके साथ राहुल कुमार एवं संजीव कुमार उर्फ सौरव मारपीट करने लगे एवं बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिये और साड़ी–ब्लाउज फाड़ दिये जिससे वह निवस्त्र एवं बेलग्न हो गई। सभी अभियुक्तगण घर में घुसकर पेटी बक्सा तोड़कर गहना एवं पैसा निकाल लिये तथा सूचक की पत्नी के गले से सोने का चेन छीन लिये। हल्ला पर अगल–बगल के लोग आये तो सभी अभियुक्तगण जान मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक सं0–02 मुकेश कुमार उर्फ मुकेश कुमार सिंह के विरूद्व सराय थाना कांड सं0–197 / 11 लंबित है जिसमें वह

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1167/2026

रमेश सिंह उर्फ रमेश प्रसाद सिंह वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.05.2026

जमानत पर है और शेष आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला सराय थाना कांड सं0–192/2023 का पलटा मुकदमा है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व संज्ञान लिया जा चुकी है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर हरवे–हथियार से लैश होकर सूचक के घर में घुस कर सूचक एवं उसके परिवार के साथ गाली–गलौज कर सूचक के घर में तोड़–फोड़ करने एवं लाठी, डंडा एवं लोहे के रड से मारपीट करने, सूचक की पत्नी के साथ मारपीट कर उसका साड़ी–ब्लाउज फाड़ कर उसे बेलग्न करने, सूचक के घर में घुसकर बक्सा तोड़कर गहना एवं पैसा निकाल लेने एवं सूचक की पत्नी के गले से सोने का चेन छीन लेने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 04, 05 एवं 06 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा इस बात का समर्थन नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त द्वारा सूचक की पत्नी का साड़ी–ब्लाउज फाड़ कर उसे बेलग्न किया गया। कांड दैनिकी के साथ संलग्न कागजातों एवं कांड दैनिकी की कंडिका 12 से विदित होता है कि चिकित्सक द्वारा सूचक नीरज कुमार सिंह को साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 18 एवं 19 से विदित होता है कि अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानक द्वारा आवेदकगण को गिरफ्तार न कर उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–35(3) के तहत नोटिस देते हुए बंध–पत्र पर मुक्त किया गया है जिससे विदित होता है कि उक्त मामले में आवेदकगण की गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। जमानत आवेदन की कंडिका 07 से विदित होता है कि यह मामला सराय थाना कांड सं0–192/2023 से बचने के लिए किया गया है। मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरूद्व पारित आदेश दिनांक–14.11.2025 से संज्ञान लिया जा चुका है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक सं0–02 मुकेश कुमार उर्फ मुकेश कुमार सिंह के विरूद्व एक मामला लंबित

Web Copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1167/2026

रमेश सिंह उर्फ रमेश प्रसाद सिंह वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.05.2026

है एवं शेष आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

Web Copy not Official

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।